न्यायालयः—तेरहवां अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर

जमानत आवेदन कं0—01/2020
सत्र प्रकरण कमांक 560/18

गंगागिरी गोस्वामी पिता सीताराम गोस्वामी
उम्र—32 वर्ष,
निवासी—बडी खैरी करौंदा नाला थाना अधारताल
जबलपुर म.प्र.

——— आवेदक

//वि रू द्ध//

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
अधारताल, जिला— जबलपुर

———अनावेदक

29.06.2020

आवेदक/अभियुक्त गंगागिरी गोस्वामी की ओर से श्री ईश्वर सिंह राठौर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री अनिल तिवारी अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

यह जमानत आवेदन न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण कमांक 560/18 शासन वि. गंगागिरी गोस्वामी एवं अन्य धारा 376(जी), 302, 397, 201 भा.द. स. के आरोपी गंगागिरी गोस्वामी को जमानत पर रिहा किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सत्र प्रकरण का मूल अभिलेख आवेदन के साथ रखा गया।

आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 व्य.प्र.सं पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-1

इस आवेदन पत्र द्वारा आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि उसके विरूद्ध थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 527/18 जिसका सत्र प्रकरण क्रमांक 560/2018 अन्तर्गत धारा 302,376,397,201/34 लंबित है जो साक्ष्य हेतु नियत है। उक्त प्रकरण में उसे दिनांक 20.06.2018 को गिरफतार किया गया है उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी अनुसार आवेदक के साथ घटना दिनांक को 10.30 बजे मृतिका को सी.सी.टी.वी. फुटेज में देखा गया है परन्तु रात 12.30 बजे आवेदक को मृतिका के साथ नहीं देखा गया है किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखा गया है। खोसला ढावा में मृतिका के साथ किसी व्यक्ति ने खाना खाया है इस आधार पर खोसला ढावा के मालिक अविनाश सिंह को पुलिस ने चश्मदीद गवाह बनाया है जिसके कथन न्यायालय में हो चुके है उसने अपने कथन में बताया है कि आवेदक मृतिका के साथ 12.00 बजे उसके ढावे में नहीं आया था अन्य आरोपी उसके ढाबे में मृतिका के साथ आया था और उसी ने खाने का पैसा चुकाया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजकुमार ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसी प्रकार संपत्ति जप्ती एवं गिरफतारी के साक्षी राजेन्द्र पासी ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्रथम आवेदन दिनांक 27.09.2018 को निरस्त होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन क्रमांक 48747/2018 दिनांक 27.12.02018 को निरस्त हो चुका है। आवेदक दिनांक 26.06.2018 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में काफी साक्ष्य हो चुकी है जिन्होने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है आवेदक के फरार होने की संभावना नहीं है। अतः उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-1

आवेदक की ओर से इस द्वितीय जमानत आवेदन के समर्थन में उसके भाई कमलगिरी का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री अनिल तिवारी ने आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का विरोध किया है।

सत्र प्रकरण क्रमांक 560/18 शासन विरूद्ध गंगागिरी गोस्वामी एवं अन्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी गंगागिरी गोस्वामी के विरूद्ध धारा 376(जी), 302, 397, 201 भा.द.स. के आरोप विरचित किए जाकर वर्तमान में प्रकरण में दस साक्षियों की साक्ष्य हो चुकी है एवं प्रकरण शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 17.07.20 को नियत है।

आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि जिन साक्षियों के कथनों के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है उन साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। घटना के पूर्व उसे मृतिका के साथ नहीं देखा गया है किसी अन्य व्यक्ति के साथ मृतिका ढाबे में गई थी। वह दो वर्ष से जेल में अतः उसे को जमानत का लाभ दिया जाए।

यह सही है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कुछ साक्षियों द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है इस कारण से उन्हें पक्ष द्रोही घोषित किया गया है परन्तु मात्र इस आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति के है। वर्तमान में महिलाओं से संबंधित अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आवेदक की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी निरस्त किया

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-1

जा चुका है। अतः आरोपी गंगागिरी गोस्वमी के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होने से उसका यह द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सत्र प्रकरण के साथ संलग्न की जाए।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जाए।

Digitally signed by PAVAS SHRIVASTAVA
Date: 2020.06.28 14:43:35 -07'00'

श्रीमती पावस श्रीवास्तव
तेरहवां अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर(म0प्र0)

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-1